न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः 121/2022/आवेदन 136 एलआरएक्ट

गोमाराम पुत्र केशरराम आयु 68 वर्ष जाति बलाई अनवासी सांगलिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रार्थी

ब ना म

राज्य सरकार जरियेः– तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवेदन बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र जाट वकील प्रार्थी की ओर से।

नि र्ण य

दिनांक– 24.01.2023

1 आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियॉ ख.नं. 418, ख.नं. 421 किता 2 वाके ग्राम सांगलिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर तन में अवस्थित है। उक्त भूमि वादी/प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है। जिसमें वादी का 1/8 हक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के जन्म के पश्चात् बाल्यवस्था में वादी को घर पर प्यार से माता–पिता व दादा–दादी एवं अन्य परिवारजन द्वारा गोपाल के नाम से पुकारना शुरू कर दिया तथा बाल्यवस्था में घर पर प्रार्थी/वादी को गोपाल के नाम से पुकारने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल दर्ज करवा दिया गया जबकि वादी का नाम अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं भामाशाह कार्ड में वादी का नाम गोमाराम पुत्र केशरराम बदस्तुर अंकित चला आ रहा है। गोमाराम व गोपाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति (वादी) के हैं तथा वादी के उपरोक्त कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत सांगलिया द्वारा जारी वारिश प्रमाणपत्र में भी इस कथन की पुष्टी की गयी है कि गोमाराम व गोपाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गोपाल दर्ज है, जो कि उपरोक्त वजह से सहवन से दर्ज चला आ रह है, जबकि अन्य समस्त दस्तावेज व रिकार्ड में वादी का नाम गोमाराम दर्ज है, इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में भिन्न भिन्न होने के कारण वादी अपने हिस्से की खातेदारी की भूमि को विकसित करने की कार्यवाही करने में सक्षम नही हो पा रहा है। जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है, इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गोमाराम दर्ज करवाने की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गोमाराम किया जाना सादर प्रार्थनीय है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर गोपाल के स्थान पर गोमाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है। वादी को वाद्र कारण आज से करीब 7–8 रोज पूर्व वादी द्वारा अपनी भूमि को विकसित करने के लिए बैंक से किसान केडिट कार्ड से ऋण लेने की कार्यवाही हेतु बैंक में जाने पर भिन्न भिन्न नाम होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती होने के पश्चात् ही

किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण देने एवं रिकार्ड में दुरूस्ती करवाये बिना किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण नहीं मिलने के कारण उत्पन्न हुआ, जो कि वादकारण क्षण प्रति क्षण निरन्तर रूप से जारी है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 418 व ख.नं. 421 किता 2 वाके ग्राम सागलिया तहसील दातारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र केशरमल के स्थान पर प्रार्थी का नाम गोमाराम पुत्र केशरराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र केशरमल के स्थान पर प्रार्थी का नाम गोमाराम पुत्र केशरराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है रिपोर्ट पटवारी ग्राम सागलिया के ख. न. 418, 421 किता 2 रकबा 0.02 है में प्रार्थी की खातेदारी गोपाल पुत्र केशरमल हि. 1/8 जाति बलाई सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। गोमाराम पुत्र केशरराम व गोपाल पुत्र केशरमल जाति बलाई दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई.डी. बैंक पासबुक आदि में गोमाराम पुत्र केशरराम दर्ज है। लोसल के राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल पुत्र केशरमल के स्थान पर गोमाराम पुत्र केशरराम दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। **अतः प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 418 व ख.नं. 421 किता 2 वाके ग्राम सांगलिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र केशरमल के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम गोमाराम पुत्र केशरराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/01/23

(प्रतिमा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ